144

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला–झुंझुनू

मुकदमा नम्बर– 78/2024
जीसीएमएस नं. – 2024/218

दायर दिनांक 27.05.2024

प्रार्थना पत्र– किरण देवी पत्नी मुनेश जाति जाट निवासी बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र बाबत् भूमि खसरा नं. 1389/762, 1471/742,703,743, 1571/732, 722, 731,926 वाके ग्राम झाझडियों की ढाणी तन बिरोल में पूर्व की स्थिति बहाल करने बाबत्।

अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी(प्रत्यास्थापना), 151 सीपीसी

आदेश दिनाक	कार्यवाही विवरण	अनुपालन के क्रमांक दिनाक
27/05/2024	यह प्रा. पत्र किरण देवी पत्नी मुनेश जाति जाट निवारी बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि,ग्राम झाझडियों की ढाणी तन बिरोल की सरहद में भूमि खसरा नं. 923,924,926 रकबा 0. 25,0.23,1.21 है0 की खातेदारी फूलचन्द पुत्र गणपतराम जाति जाट की खातेदारी काश्त की भूमि है। उक्त भूमि खसरा नं. 926 के उत्तर व पूर्व में खसरा नं. 703 व 704 की भूमि किरण, बनवारीलाल की खातेदारी काश्त की भूमि स्थित है, भूमि खसरा नं. 926 की उत्तरी और पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे कटानी रास्ता खसरा नं. 732 गुजरता है, जो मौके पर चालू है। उक्त कटानी रास्ते के सबंध मे एक दावा उनवानी फूलचन्द बनाम बनवारी वगै0 मु. नं. 77/2015 दावा बाबत् नक्शा दुरूस्ती घोषणा का प्रस्तुत हुआ, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 14/06/2016 को निर्णय कर राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती के आदेश दिये गये, जिसके मुताबिक खसरा नं. 926 में वर्णित रास्ते को बदलकर राजस्व रिकार्ड को बदल दिया गया है,जिसकी प्रार्थीया के ससुर गोपाल ने राजस्व अपील अधिकारी,झुंझुनू के यहॉ अपील पेश करने पर प्रार्थीया के ससुर गोपाल की अपील दिनांक 31/01/2022 को स्वीकार कि जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय व डिक्री अपास्त कि गई है। जिसकी कोई अपील किसी भी न्यायालय में आज तक नही की गई है इस प्रकार न्यायालय श्रीमान् की डिक्री दिनांक 14/06/2016 को निरस्त किये जाने से जो राजस्व रिकार्ड ट्रेस में खसरा नं. 926 की उत्तरी व पूर्वी सीमा के सहारे रास्ता दर्ज था को हटाया जाकर खसरा नं. 926 के बीचों बीच रास्ता दर्ज कर दिया गया है, उक्त्ता नक्शा ट्रेस के अस्तित्व में रहने से खसरा नं. 926 के खातेदार द्वारा कटानी रास्ते में अवरोध पैदा करने के लिये मौके पर निर्माण कार्य चालू कर दिया, जबकि मौके पर रास्ता चालू है इसलिये उसे पुनः पूर्व की स्थिति में दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः निवेदन है कि, उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में डिक्री दिनांक 14/06/2016 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। प्रा0 पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी (प्रत्यास्थापना), 151 सीपीसी दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस आवेदक पक्ष द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई। आवेदक पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर की अपील सं. 274/2016 की सत्यापित नकल अपने कथनों के सम्बन्ध में पेश की है। माननीय न्यायालय भू. प्रबन्ध एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर की अपील सं. 274/2016 उनवानी गोपाल बनाम फूलचन्द वगै0 अन्तर्गत धारा 5 एंव धारा 96 के निर्णय दिनांक 30.01.2020 को भली भांती अवलोकन किया गया जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की गई है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निदेर्शो के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अपीलान्ट को प्रतिवादी संयोजित कर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई विधिक प्रकिया अनुसार	

उपखण्ड अधि. न.ग.

Scanned with CamScanner

गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

प्रा. पत्र के संलग्न माननीय न्यायालय भू.प्रबन्ध एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के निर्णय 30.01.2020 के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर है कि,अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त की जा चूकी है जो अब सारहीन है, जबकि उक्त आदेश का राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद होने से मौके पर वाद की बाहुलता उत्पन्न हुई है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय एंव न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रकरण सं. 77/2015 उनवानी फूलचन्द बनाम बनवारी वगै0 मे पारित निर्णय दिनांक 14/06/2016 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में कायम की जावे। ख.नं. 926 के बीचो–बीच जो रास्ता दर्ज किया है को हटाया जाकर उसे पूर्ववत् ख.नं. ख.नं. 926 की उत्तरी व पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे दर्ज किया जावे। राजस्व रिकार्ड में प्रकरण सं. 77/2015उनवानी फूलचन्द बनाम बनवारी वगै0 मे पारित निर्णय दिनांक 14/06/2016 से पूर्व की स्थिति यथावत बहाल कर दी जावे तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती तथा अमलदरामद किया जावे। आदेश कि पालना के लिये तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned with CamScanner